दिनांक 25.02.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी की संयुक्त बैठक हुई थी जिसमें रोड निर्माण में आने वाले बाधाएं के सम्बन्ध में चर्चा की गई और रोड निर्माण में आने वाले बाधाएं को जो अवैध कब्जे से बनाये गये हैं उसको हटाये जाने के निर्देश दिये गये थे उसी कड़ी में आज परियापारा के नाला के पास रोड चौड़ीकरण में आने वाले टीन शेड, चबुतरा, दीवाल, एवं प्रचार-प्रचार सामग्री के बोर्ड को जेसीबी द्वारा हटाया गया, साथ ही अनुष्का रेसीडेंसी द्वारा रोड पर उद्यान का निर्माण किया गया जिसे भी निगम के तोड़फोड़ दस्ते द्वारा हटाय जाने की कार्यवाही की गई। आज करीब 35 दुकान के सामने से हटाया एवं तोड़ा गया जिसमें निगम जोन विभाग के तोड़फोड़ दस्ते एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।

तोड़फोड़ कार्यवाही के बाद 12 वार्ड में बिना भवन अनुज्ञा परमीशन के पांच रास्ता गली के पास जुगन बाई द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा था जिसे परमीशन दिखाने कहा गया परमीशन न दिखाये जाने पर वार्ड पार्षद एवं अधिकारियों द्वारा समझाईस देते हुए कार्य बंद करने कहा गया तथा नोटिस जारी किया गया, एवं उन्ही के द्वारा नाली के उपर शौचालय का सीट बिठाया गया था जिसे भी हटाने कहा गया।

कार्यवाही के दौरान 35 से अधिक दुकानों के बाहर लगाये गये अवैध टीन शेड, ग्लो साईन बोर्ड, होर्डिंग्स तथा होटल के पक्के निर्माण को जेसीबी से तोड़ा गया। कुछ व्यवसायियों ने निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ की कार्यवाही को देखकर अपने दुकानों के सामने के शेड को स्वयं ही हटाना प्रारम्भ कर दिये। आयुक्त श्री सुंदरानी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहे सभी अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि शहर में बढ़ रहे यातायात दबाव को सर्व सुलभ बनाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होने क्षेत्र के व्यवसायियों से अपील की है कि दुकानदार चौड़ीकरण की सीमा रेखा के अंदर आ रहे अवैध निर्माण को स्वयं हटाकर जनता के हित में किये जा रहे कार्य में निगम का सहेयाग करें।

कार्यवाही के दौरान जोन 01 का राजस्व अमला, तोड़फोड़ दस्ता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।